संख्या- **582**/2025/1328/41-1-2025/001-CN-1796736-2024

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **27** जून, 2025

विषय:-उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1470/6-1-1(रा0-यो0/यु०सी०)/2025-26,दिनांक 26 जून, 2025का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश

सं0-317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025, शासनादेश सं0-331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025 एवं शासनादेश सं0-369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025 के माध्यम सेकुल 35 परियोजनाओं, जिनमें उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 कार्यदायी संस्था नामित है, हेतु प्रथम किश्त के रूप मेंटोकन धनराशिअवमुक्त किये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु द्वितीय किश्त के रूप में निम्नवत् सारणी के स्तम्भ-7 के अनुसार कुल रू0 2375.00लाख(रू0 तेईस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**कम्प्यूटर संख्या**	**कार्य का नाम**	**शासनादेश संख्या एवं दिनांक**	**प्रशासकीय स्वीकृति (जी0एस0टी0 सहित)**	**प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि**	**द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	1912017	जनपद बाँदा के ग्राम सोहना गंछा विकास खंड बड़ोखर खुर्द, तहसील बाँदा सदर में सिद्ध बाबा स्थान का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	92.30	1.00	55.00
2.	1912759	जनपद फतेहपुर के ग्राम पंचायत खेरिला सिजौली जहानाबाद में स्थित पासी बाबा मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	99.28	1.00	60.00
3.	1912168	जनपद बाराबंकी में अवसानेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	62.86	1.00	35.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4.	1911969	जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट के ग्राम सिल्हौर स्थित श्री ललेश्वर शिव मंदिर आश्रम का पर्यटन विकास कार्य।	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	102.59	1.00	60.00
5.	1913316	जनपद प्रयागराज के ग्राम बरॉव तहसील करछना में स्थित राघवेन्द्र मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	73.60	0.25	40.00
6.	1913324	जनपद फतेहपुर के ग्राम दुद्धिपु कगार ब्लाक मलवा स्थित मौनी सरकार पंचवटी आश्रम के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	98.00	0.25	60.00
7.	1911883	जनपद जौनपुर के ग्राम सभा विभापुर, वि0ख0-मुंगरा बादशाहपुर में पियरी देवी धाम का पर्यटन विकास कार्य हेतु।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	100.10	0.25	60.00
8.	1912400	जनपद गाजीपुर में स्थित महाहरधाम के मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	102.23	0.25	60.00
9.	1912963	जनपदचन्दौली के सकलडीहा विधान सभा के चहनिया विकास खण्ड के अन्तर्गत शिवमंदिर के समीप सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	रू0 91.20	0.25	55.00
10.	1913337	जनपद चन्दौली के ग्राम लक्ष्मणपुर में स्थित श्री 1008 लक्ष्मी ब्रह्म धाम मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	96.54	0.25	60.00
11.	1912798	जनपद आगरा के विधानसभा बाह के अंतर्गत ग्राम रुदमुली स्थित शिव मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	72.60	0.25	40.00
12.	1912066	जनपद आगरा के आगरा के खेडी में स्थित धाकम माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	88.30	0.25	50.00
13.	1913382	जनपद फिरोजाबाद के ग्राम गौछ स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	136.61	0.25	80.00
14.	1912973	जनपद फिरोजाबाद के ग्राम रामनगर स्थित ठाकुर जी महाराज मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	196.00	0.25	120.00
15.	1912779	जनपद फिरोजाबाद के ग्राम भूड नगरिया नारखी स्थित श्री बजरंग आश्रम का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	110.39	0.25	65.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

16.	1912363	जनपद फिरोजाबाद स्थित छदामी लाल जैन मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	128.32	0.25	70.00
17.	1912419	जनपद-फिरोजाबाद के तहसील-सिरसागंज अन्तर्गत जदुद्वारा स्थल के पर्यटन विकास कार्य	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	207.40	0.25	120.00
18.	1914000	जनपद मैनपुरी के मिढावली में माता मंदिर का सौन्दर्यीकरण पर्यटन एवं विकास कार्य।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	117.72	0.25	70.00
19.	1912965	जनपद मैनपुरी के ग्राम अलूपुरा स्थित श्री 108 मिट्ठू बाबा सत्यबली आश्रम का सौन्दर्यीकरण एवंपर्यटन विकास कार्य।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	148.60	0.25	90.00
20.	1912766	जनपद मैनपुरी स्थित घंटाघर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	147.68	0.25	90.00
21.	1911924	जनपद मैनपुरी के ग्राम औरध में स्थित भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ धाम मंदिर एवं माता मंदिर के पर्यटन विकास व सौन्दर्यीकरण	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	192.79	0.25	120.00
22.	1911884	जनपद अलीगढ़ के नौ देवी मंदिर के सौन्दर्यीकरण का कार्य हेतु।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	73.94	0.25	40.00
23.	1913457	जनपद कासगंज के विकास खण्ड सोरों में स्थित महत्वपूर्ण प्राचीन धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार सम्बन्धी विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	324.15	0.25	200.00
24.	1911881	जनपद बुलन्दशहर के वि0स0-स्याना के ग्राम गजरौला के पास मांडव ऋषि आश्रम का पर्यटन विकास कार्य हेतु।	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	78.50	0.25	45.00
25.	1911877	जनपद बुलन्दशहर के वि0स0-डिबाई में करणवास महाऋषि दयानन्द गुरूकुल आश्रम का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	96.30	0.25	60.00
26.	1911838	जनपद गाजियाबाद के वि0स0-मुरादनगर के ग्राम कुन्हैडा में स्थित भगवान परशुराम मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	92.50	0.25	55.00
27.	1911886	जनपद गाजियाबाद के वि0स0-मोदीनगर स्थित सीकरी महामाया मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	70.50	0.25	40.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

28.	1911876	जनपद गौतमगुद्धनगर के वि0स0-दादरी के ग्राम-सोनपुर भोला रावल स्थित प्राचीन बाबा भोला सिद्ध शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	59.30	0.25	35.00
29.	1914717	जनपद संतकबीर नगर के विधानसभा घनघटा में स्थित मां सिद्धदात्री जी तथा बजरंगबली जी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	100.10	0.25	60.00
30.	1914705	जनपद आगरा में आईटीआई के निकट बल्केश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	147.89	0.25	90.00
31.	1914674	जनपद आगरा की वि0ख0 आगरा छावनी में शहीद पार्क दशरथकुंज मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	95.11	0.25	60.00
32.	1914710	जनपद आगरा के वि0स0 फतेहाबाद के भटा की पीपरी मौजा मेवलीखुर्द शिव मंदिर परिसर का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	88.00	0.25	50.00
33.	1914715	जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड टूण्डला के ग्राम हिम्मतपुर में हिम्मतपुर मईया का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	99.90	0.25	60.00
34.	1914695	जनपद हाथरस के वि0स0 सादाबाद के वि0ख0 मुरसान के ग्राम पंचायत नगला रामराम के ढकपुरा मंदिर (स्वर्ग आश्रम) का पर्यटन विकास कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	96.56	0.25	60.00
35.	1914702	जनपद अलीगढ में प्राचीन श्री अचलेश्वर मंदिर पर पर्यटक सुविधाओं का सृजन कार्य	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	98.57	0.25	60.00
		कुल योग	**(धनराशि रूपये तेईस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)**			**2375.00**

(1) परियोजनाओं हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025, शासनादेश सं0-331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025 एवं शासनादेश सं0-369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया हो।

(2) परियोजनाओं हेतु अगली किश्त की मांग करते समय कार्यदायी संस्था/पर्यटन निदेशालयद्वारा जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस मद में जमा की गयी धनराशि का प्रमाण पत्र एवं चालान की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजनाओं में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(8) प्रश्नगत परियोजनाओं में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया गया।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराये हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(13) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 23,75,00,000 (रूपये तेईस करोड़ पचहत्तर लाखमात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी,फतेहपुर/बाँदा/बाराबंकी/प्रयागराज/गाजीपुर/जौनपुर/चन्दौली/आगरा/फिरोजाबाद/मैनपुरी/अलीगढ़/कासगंज/बुलंदशहर/गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर/संतकबीर नगर/हाथरस।
4. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरशन लि0,लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
7. निदेशक,उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA),लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
9. सम्बन्धित उप निदेशक, पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in